UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 17/2022/790/xxx-4-2022-8(24)/2010 dated 06 July, 2022

NOTIFICATION
ORDER

No. 17/2022/790/xxx-4-2022-8(24)/2010
Lucknow ; Dated : 06 July, 2022

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) the Governor is pleased to exempt from the payment of tax, under section 4 of the aforesaid Act, the vehicle having registration number U.P. 85Y 9909 till the date of validity of its permit i.e. March 23rd, 2027 or till the said vehicle is owned by Shri Giriraj Maharaj Nihshulk Jal Sewa Samiti, Govardhan, Mathura and is engaged solely for philanthropic works, whichever is earlier.

By Order,

L. Venkateshwar Lu
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4

संख्या -17/2022/790/तीस-4-2022-8(24)/2010
लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2022

अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल रजिस्ट्रीकरण संख्या-यू0पी0 85 वाई 9909 वाले यान को उसके परमिट के दिनांक से विधिमान्य होने अर्थात् 23 मार्च, 2027 तक अथवा उक्त यान के श्री गिरिराज महाराज नि:शुल्क जल सेवा समिति, गोवर्धन, मथुरा के स्वामित्व में होने तक और पूर्णत: परोपकारी कार्यों में विनियोजित होने तक, जो भी पूर्वतर हो, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन कर संदाय से छूट प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 17/2022/790(1)/तीस-4-2022-8(24)/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना आदेश को दिनांक 06 जुलाई, 2022 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या- 17/2022/790(2)/तीस-4-2022-8(24)/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन विभाग को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5- संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6- पं0 राम प्रकाश (गंगाजल वाले बाबा), निवासी श्री गिरिराज महाराज मुखारबिन्दु विराजमान, श्री दान घाटी मंदिर, गोवर्धन धाम, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।